GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO.325
TO BE ANSWERED ON 1ST APRIL, 2022

AMOUNT TRANSFERRED TOWARDS MSP TO FARMERS FOR PADDY PROCUREMENT

325 DR. SASMIT PATRA:

Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री be pleased to state:

(a) the total Minimum Support Price (MSP) towards paddy transferred to bank accounts of farmers in the country over the last five years, State-wise and year-wise;

(b) the discrepancies, if any, found in transfers of such funds; and

(c) whether the procurement of paddy and provision of MSP to farmers is the primary responsibility of the States or the Centre?

ANSWER
MINISTER OF COMMERCE & INDUSTRY, CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION AND TEXTILES
(SHRI PIYUSH GOYAL)

(a) to (c): A statement is laid on the Table of the House.

Q.No. 317 & Q.No. 325 were taken up together.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) to (c) OF THE STARRED QUESTION NO. *325 FOR ANSWER ON 01.04.2022 IN THE RAJYA SABHA.

(a): Payment to farmers is done through electronic mode by State Government Agencies/ Food Corporation of India (FCI). Before Rabi Marketing Season (2021-22), in some States, payment was done through Arthias/ Co-operative societies through offline mode/ cheques. "One Nation, One Minimum Support Price (MSP), One Direct Benefit Transfer (DBT)" implemented across the country from Rabi Marketing Season 2021-22. DBT of MSP has brought in responsibility, transparency and real time monitoring in the system.

State-wise details of MSP value of paddy procured from farmers during last five years is at **Annexure-I.**

(b): No discrepancy has been found in transfer of such funds.

(c): Before the commencement of each marketing season, during the State Food Secretaries meeting, the estimate for procurement of paddy are finalized by Government of India in consultation with State Governments, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare and FCI based upon estimated production, marketable surplus and agricultural crop pattern.

Procurement of paddy at MSP from farmers is undertaken either by FCI directly or State Government agencies. Subsequently, Central Government reimburses the cost of MSP and other incidentals incurred by the State Governments agencies/FCI on the procurement of paddy for central pool.

****

ANNEXURE-I

ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) OF THE STARRED QUESTION NO. *325 FOR ANSWER ON 01.04.2022 IN THE RAJYA SABHA.

State-wise details of MSP value of paddy procured from farmers during last five years

S. No.	STATES/ UTs	KMS 2016-17	KMS 2017-18	KMS 2018-19	KMS 2019-20	KMS 2020-21
		MSP Value @Rs1510/Qtl (in Rs. Crores)	MSP Value @Rs1590/Qtl (in Rs. Crores)	MSP Value @Rs1770/Qtl (in Rs. Crores)	MSP Value @ Rs 1835/Qtl (in Rs. Crores)	MSP Value @ Rs 1888/Qtl (in Rs. Crores)
1	A.P.	8394.09	9492.3	12696.21	15153.43	15966.816
2	Telangana	8104.17	8586	13710.42	20416.21	26637.792
3	Assam	104.19	84.27	270.81	578.025	400.256
4	Bihar	2781.42	1882.56	2506.32	3673.67	6719.392
5	Chandigarh	28.69	33.39	33.63	40.37	52.864
6	Chhattisgarh	9064.53	7611.33	10336.8	13736.81	13418.016
7	Gujarat	1.51	1.59	24.78	38.535	207.68
8	Haryana	8075.48	9473.22	10412.91	11795.38	10676.64
9	Jharkhand	312.57	340.26	403.56	697.3	1187.552
10	J&K	18.12	30.21	24.78	27.525	71.744
11	Karnataka	0	0	155.76	111.935	388.928
12	Kerala	684.03	769.56	1228.38	1302.85	1444.32
13	M.P.	2961.11	2599.65	3685.14	4765.495	7036.576
14	Maharashtra	696.11	424.53	1532.82	3196.57	3585.312
15	Odisha	8181.18	7800.54	11577.57	12949.595	14599.904
16	Punjab	24908.96	28095.3	29941.32	29787.555	38292.416
17	Tripura	0	0	17.7	38.535	45.312
18	Tamilnadu	318.61	2324.58	3368.31	5947.235	8477.12
19	U.P.	5306.14	6821.1	8540.25	10380.595	12619.392
20	Uttrakhand	1591.54	90.63	1219.53	1868.03	2023.936
21	WB	4270.28	3911.4	5152.47	4960.005	5246.752
	Total	85802.73	90372.42	116839.47	141465.655	169098.72

*****

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 325

01 अप्रैल, 2022 के लिए प्रश्न

धान की खरीद हेतु किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए जाने हेतु अंतरित धनराशि

325. डॉ. सस्मित पात्रा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पाँच वर्षों में देश में राज्यवार और वर्षवार किसानों के बैंक खाते में धान की खरीद हेतु कुल कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अंतरित किया गया;

(ख) ऐसी धनराशि के अंतरण में क्या विसंगति, यदि कोई हो, पायी गयी; और

(ग) क्या धान की खरीद और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान राज्यों या केन्द्र का प्राथमिक दायित्व है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

प्र.सं. 317 और प्र.सं. 325 पर साथ-साथ चर्चा की गई।

राज्य सभा में दिनांक 01.04.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 325 के उत्तर के भाग (क) से (ग) के संबंध में उल्लिखित विवरण

(क): राज्य सरकार की एजेंसियों/भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा किसानों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए भुगतान किया जाता है। रबी विपणन मौसम (2021-22) से पहले आढ़तियों/सहकारी सोसाइटियों द्वारा कुछ राज्यों में भुगतान ऑफलाइन माध्यम/चेक के जरिए किया जाता था। रबी विपणन मौसम 2021-22 से समूचे देश में "एक राष्ट्र, एक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), एक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)" का कार्यान्वयन किया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से प्रणाली में जवाबदेही, पारदर्शिता और रियल टाइम मॉनिटरिंग आई है।

पिछले 5 वर्षों के दौरान किसानों से खरीदे गए धान के एमएसपी मूल्य का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-1** में दिया गया है।

(ख): ऐसी निधियों के अंतरण में कोई भी विसंगति नहीं पाई गई है।

(ग): प्रत्येक विपणन मौसम के शुरू होने से पहले, राज्य खाद्य सचिवों की बैठक के दौरान, अनुमानित उत्पादन, बाजार में अधिशेष और कृषिगत फसल पैटर्न के आधार पर राज्य सरकारों, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और भारतीय खाद्य निगम के साथ परामर्श करके, भारत सरकार द्वारा धान की खरीद के लिए अनुमान को अंतिम रूप दिया जाता है।

किसानों से एमएसपी पर धान की खरीद या तो सीधे एफसीआई द्वारा या राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा की जाती है। तत्पश्चात, केंद्रीय पूल के लिए धान की खरीद पर राज्य सरकारों की एजेंसियों/भारतीय खाद्य निगम द्वारा वहन की गई एमएसपी की लागत और अन्य प्रासंगिक खर्चों की प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।

******

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 01.04.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 325 के उत्तर के भाग (क) के संबंध में उल्लिखित अनुबंध

पिछले 5 वर्षों के दौरान किसानों से खरीदे गए धान के एमएसपी मूल्य का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केएमएस 2016-17	केएमएस 2017-18	केएमएस 2018-19	केएमएस 2019-20	केएमएस 2020-21
		एमएसपी मूल्य 1510 रुपये प्रति क्विंटल (रुपये करोड़ में)	एमएसपी मूल्य 1590 रुपये प्रति क्विंटल (रुपये करोड़ में)	एमएसपी मूल्य 1770 रुपये प्रति क्विंटल (रुपये करोड़ में)	एमएसपी मूल्य 1835 रुपये प्रति क्विंटल (रुपये करोड़ में)	एमएसपी मूल्य 1888 रुपये प्रति क्विंटल (रुपये करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	8394.09	9492.3	12696.21	15153.43	15966.816
2	तेलंगाना	8104.17	8586	13710.42	20416.21	26637.792
3	असम	104.19	84.27	270.81	578.025	400.256
4	बिहार	2781.42	1882.56	2506.32	3673.67	6719.392
5	चंडीगढ़	28.69	33.39	33.63	40.37	52.864
6	छत्तीसगढ़	9064.53	7611.33	10336.8	13736.81	13418.016
7	गुजरात	1.51	1.59	24.78	38.535	207.68
8	हरियाणा	8075.48	9473.22	10412.91	11795.38	10676.64
9	झारखंड	312.57	340.26	403.56	697.3	1187.552
10	जम्मू एवं कश्मीर	18.12	30.21	24.78	27.525	71.744
11	कर्नाटक	0	0	155.76	111.935	388.928
12	केरल	684.03	769.56	1228.38	1302.85	1444.32
13	मध्य प्रदेश	2961.11	2599.65	3685.14	4765.495	7036.576
14	महाराष्ट्र	696.11	424.53	1532.82	3196.57	3585.312
15	ओडिशा	8181.18	7800.54	11577.57	12949.595	14599.904
16	पंजाब	24908.96	28095.3	29941.32	29787.555	38292.416
17	त्रिपुरा	0	0	17.7	38.535	45.312
18	तमिलनाडु	318.61	2324.58	3368.31	5947.235	8477.12
19	उत्तर प्रदेश	5306.14	6821.1	8540.25	10380.595	12619.392
20	उत्तराखंड	1591.54	90.63	1219.53	1868.03	2023.936
21	पश्चिम बंगाल	4270.28	3911.4	5152.47	4960.005	5246.752
	कुल	85802.73	90372.42	116839.47	141465.655	169098.72

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Sir, my question is about malpractices in procurement of paddy from the States of Andhra Pradesh and Telangana. The hon. Minister in his reply says that complaints regarding procurements by middlemen were brought to their notice from Andhra Pradesh and complaints in mismatch of procurement and storage was noticed in Telangana, a huge quantity of 18,000 metric tonnes of mismatch. On both the occasions, the reply says that the Ministry has written to the State Governments for redressal. But my complaint is that the State Government...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please be brief and come to your question.

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: I am coming to the question, Sir. The State officials are complicit in many of these instances. So, what will the Ministry do independently to verify these malpractices and take action against the culprits?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please be brief on your question.

साध्वी निरंजन ज्योति : माननीय उपसभापति महोदय, भारत का एक संघीय ढांचा है, उस संघीय ढांचे के तहत हमें राज्यों पर विश्वास करना होता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से शिकायतों की जो सूचना आई है, वहां से जो रिपोर्ट आएगी, तब उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे।

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Sir, my second supplementary is about the payment to the farmers from whom paddy is procured. Both are decentralized States and there are complaints that in Andhra Pradesh paddy farmers are not being paid for a period of even three to six months and there is a huge unrest among farmers. I would like to ask the hon. Minister: What is the guideline from the Central Government with regard to release of payment to the farmers for procurement? The State Government says 21 days but then that is taking so much time. ...*(Interruptions)*..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please be brief.

साध्वी निरंजन ज्योति : उपसभापति महोदय, यह कई जगह से खरीदा जाता है। इसे किसान मंत्रालय भी खरीदता है और राज्य सरकारें भी खरीदती हैं। मुझे लगता है कि मंत्रालय की तरफ से payment में कोई देरी नहीं होती है। हम लोग तत्काल payment करते हैं। अगर कहीं ऐसी कोई शिकायत है, तो हम उस पर विचार करेंगे।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री; उपभोक्ता मामले ,खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री; तथा वस्त्र मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : सर, मैं इसमें कुछ add करना चाहता हूँ। सर, वास्तव में payment procurement के तुरंत बाद होनी चाहिए। माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो technology का इस्तेमाल करके इस पूरी परिस्थिति पर लगातार नियंत्रण रखा है, उसके कारण आज देश भर में payment किसानों के खाते में direct जाती है। असम में अभी इसकी कुछ Aadhaar linking बाकी है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वहाँ आधार के process में कुछ विलंब हुआ था। उसके अलावा देश भर में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया, जिससे कुछ राज्य, जैसे वैस्ट बंगाल, दिल्ली वगैरह, जो इससे जुड़े नहीं थे, उनको भी इसमें जोड़ने के लिए बाध्य किया गया और कोर्ट के ऑर्डर से उनको भी इसमें आना पड़ा। अब यह परिस्थिति है कि देश भर में payment किसानों के खाते में direct जाती है। सब बिचौलिए, सब middlemen, सब दलाल खत्म हो गए। जिस प्रकार से पहले जो गलत काम होते थे, उनको technology और एक पारदर्शी व्यवस्था से हमने खत्म किया है। मैं यह भी कह दूँ कि हम साधारणतः स्टेट को 90 प्रतिशत पैसा advance में दे देते हैं। कई बार यह जो बात कह दी जाती है कि सेंटर से payment नहीं मिली, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने बजट में पर्याप्त राशि आवंटित की और अब राज्यों को 90 प्रतिशत पैसा procurement शुरू होने के पहले ही मिल जाता है। अगर कोई ऐसा instance है, चाहे देश का कोई भी राज्य हो, अगर वहाँ यह शिकायत है, तो कृपा करके प्रमाण के साथ हमें तुरंत सूचना दीजिए, हम वहाँ पर टीम भेज कर immediately जरूरत पड़ी, तो raid कराएँगे, check कराएँगे। हाल ही में चूँकि तेलंगाना के rice mills की complaints वगैरह आ रही थीं, तो हमने सभी rice mills के ऊपर भी verification का process किया। ऐसे ही अगर किसी और राज्य की भी कोई शिकायत हो, चाहे किसी राज्य की सरकार हो, तो हम उस पर अवश्य कार्रवाई करेंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Sasmit Patra.

DR. SASMIT PATRA: Sir, the hon. Minister has given a very detailed reply to the question. This is with reference to procurement of paddy. Odisha has been requesting for evacuation of the surplus parboiled rice. Since the free ration programme is being extended, obviously, there will be a demand for parboiled rice going forward. My earnest question to the hon. Minister is: Would the hon. Minister be kind enough to lift, to evacuate the surplus parboiled rice? Thank you.

श्री पीयूष गोयल : माननीय उपसभापति जी, यह विषय बार-बार इस सदन के समक्ष आता है। मैंने इस विषय के ऊपर बड़ा consistent stand लिया है। पहली बात तो यह है कि Food Corporation of India ने सभी राज्यों के साथ MoU किया हुआ है। MoU में यह बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रदेश में paddy से जो चावल बनता है, जिस चावल का आप अलग-अलग स्कीमों के माध्यम से वितरण करते हैं, उसमें स्टेट में आपकी जो खपत होती है, आप किसी भी प्रकार का चावल ले सकते हैं, उसके हिसाब से आप खरीदें और अपने स्टेट में वितरण कर दें। कई स्टेट्स में अधिक चावल बनता है, जो उन स्टेट्स की खपत से ज्यादा है, जैसे पंजाब, हरियाणा, मध्य

प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और आज के दिन तो देश भर में कई राज्य ऐसे हो गए हैं, जहाँ अधिक चावल बनता है। कई बार हमारे पास delegation पर delegation आया, कुछ मुख्यमंत्रियों द्वारा धमकियाँ दी गईं, कुछ मंत्रियों के delegations ने आकर समय-समय पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा भी की। हमने एकदम consistent और स्पष्ट stand लिया है। मैं यहाँ इसलिए उठा कि मैं एक बार फिर दोहरा दूँ कि अगर आप excess rice Central Pool में देना चाहें, तो उसके लिए हमारा जो आपसी MoU है और जो वर्षों से चली आ रही परंपरा है, दोनों में यह बहुत स्पष्ट लिखा है कि जो देश की खपत है, अगर बाकी राज्यों में कोई चावल खरीदने वाला हो, खाने वाला हो, जहाँ वितरण हो सके, तो वही चावल FCI surplus pool में ले सकती है। अगर कोई राज्य इसकी अलग प्रकार की quality देना चाहे, जिसका देश में वितरण ही नहीं हो सके, जिसकी कोई खपत ही न हो, तो सरकार उस चावल का क्या करेगी! सरकार जितना excess rice ले सकती थी, उतना लेती रही। हमने आपके राज्य से भी parboiled rice लिया, तेलंगाना से भी लिया, लेकिन लगभग डेढ़ वर्ष पहले यह परिस्थिति हो गई कि हमारे पास चार-पांच वर्षों का excess parboiled rice भंडारण में था। उस समय सभी राज्यों को पहले से सूचित कर दिया गया कि हम सिर्फ raw rice के रूप में excess rice ले पाएंगे, अगर आपके यहां किसी और प्रकार का excess rice है, तो आप अपने प्रदेश में वितरण के लिए उसे ले सकते हैं, हमारी तरफ से इसकी पूरी छूट है। हमने राज्यों से यह भी कहा कि हम चाहेंगे कि अगर आपके राज्य में excess rice है, तो आप लोग खरीदें और उसका वितरण अपने राज्य में करें, क्योंकि आखिर तो यह देश का पैसा है। यहां पर हमारे देश के वरिष्ठ नेतागण बैठे हुए हैं। यह House of Elders है, यहां पर अधिकांश tax payers बैठे हुए हैं और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपके tax के पैसे का सदुपयोग करें। हम अपनी उस जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन कर रहे हैं।

DR. SASMIT PATRA: Sir, the related question of my second supplementary is: In case the Union Government says that it does not have sufficient areas or scope for further evacuation of rice, would the Union Government consider probably (a) either taking the onus on itself, or (b) facilitate for export of this rice to countries where such rice is required so that the farmers of the States like Odisha would be benefited?

श्री पीयूष गोयल : माननीय उपसभापति जी, सबसे पहले तो मैं यह स्पष्ट कर दूं कि raw rice की form में जो quality specifications हैं, उसके तहत अगर आप जितनी surplus quantity है, वह देंगे तो केन्द्र सरकार उसको अवश्य खरीदेगी, बिना किसी संदेह के मैं यह बात आप सभी को स्पष्ट कर रहा हूं। लेकिन सरकार भंडारण के लिए जो अनाज खरीदती है, National Food Security Act के तहत, उसको export करना हमें permitted नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर WTO के बंधन हैं। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये बंधन हमारी सरकार ने नहीं लिए, बल्कि 1995 में, उस समय की सरकार ने अपने ऊपर WTO का बंधन बांध लिया था। वह बंधन यह है कि National Food Security के तहत खरीदा हुआ अनाज export नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमारी सरकार उसको export नहीं कर सकती है।

अगर राज्य सरकार स्वयं इसके बारे में कुछ करना चाहें या प्राइवेट सेक्टर के लोग अगर यह एक्सपोर्ट करें, तो उनका स्वागत है। हम तो स्वयं चाहते हैं कि राज्य सरकारें भी एक्सपोर्ट में involved हों। केन्द्र की पूरी कोशिश है कि भारत का सामान, हमारे अन्नदाताओं का उत्पाद पूरे विश्व में जाएं।

आप सभी जानते हैं कि भारत ने पहली बार 400 billion dollars का निर्यात किया है, जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। मेरे पास इसके लेटेस्ट आंकड़े आज आ जाएंगे, हमारा निर्यात अब शायद 415 billion dollars से भी ऊपर चला गया है। हम सबके लिए, चाहे उस तरफ के सदस्य हों या इस तरफ के हों, यह बड़े गर्व की बात होनी चाहिए हमारे देश के निर्यात में अन्नदाता, डेयरी के लोग, MSMEs, सबने मिल कर सहयोग दिया है और इसको आगे बढ़ाने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। अगर इसमें सरकार दख़लंदाज़ी न दे, तो मैं समझता हूं कि निर्यात और भी ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन अगर इसमें सरकार घुसेगी, तो समस्या हो सकती है, क्योंकि WTO के बंधन उसमें आड़े आ जाएंगे।

डा. के. केशव राव : सर, आपने दो क्वेश्चंस को मिला दिया।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Supplementary is on the first question, on Q. No. 317.

DR. K. KESHAVA RAO: They are similar and it is the same Minister who has to answer. जैसा मिनिस्टर ने अभी कहा, यह सब्जेक्ट बहुत मर्तबा डिस्कस हुआ है, लेकिन जितनी मर्तबा भी हम मिनिस्टर से इसको डिस्कस करते हैं, वे हमको ऐसे ही confused रखते हैं, जैसा उन्होंने पहले दिन किया।

सवाल यह है, DCP System के तहत जो स्टेट्स decentralised procurement करती हैं, including Telangana, उन स्टेट्स को वह राइस उसी दिन खरीदना पड़ता है, जिस दिन इसकी पैदावार होती है; not the Centre. स्टेट्स इसको खरीदती हैं, फिर इसकी milling करने के बाद उसको FCI को देती हैं, when there is marketable surplus. लेकिन इसका पैसा हमें कब वापस मिलता है? हम जून में इसका पैसा देते हैं, लेकिन आप हमको अगस्त में पैसा वापस देते हैं। हमने आपसे यही क्वेश्चन पूछा है, will the Government consider telling us that they will buy so much quantum of rice from us. The basic question is, it is paddy in the entire literature of yours. There is no mention of rice in the literature, in the MoU, in the Constitution, in the law, in the books, it is only paddy. When you are saying, paddy, there could be paddy which could be broken paddy, paddy which could be fine rice paddy, it could be paddy which is of good variety etc. etc. We have a variety and Odisha has a variety which is converted to boiled rice.

श्री पीयूष गोयल : महोदय, मैं समझता हूं कि जितना स्पष्टीकरण मैंने दिया, उससे ज्यादा ट्रांसपेरेन्ट स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है। हां, अगर किसी को समझना ही नहीं है, तो उसके बारे में मेरे पास कोई इलाज नहीं है। **...(व्यवधान)...**बहुत स्पष्ट रूप से मैंने बताया कि एक्सेस राइस

हम पूरा...**(व्यवधान)**... आपको क्यों लग रहा है कि आपके लिए बोला है...**(व्यवधान)**... आपको क्यों लग रहा है कि मैं आपके लिए बोल रहा हूं। ...**(व्यवधान)**... मैं सोचता हूं कि शायद सोम प्रकाश जी नहीं सुन रहे हैं...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : प्लीज़, आपस में बात न करें। माननीय मंत्री जी, प्लीज़, आपस में बात न करें।

श्री पीयूष गोयल : मैंने बहुत स्पष्ट बताया और ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will see.

श्री पीयूष गोयल : तेलंगाना की सरकार ने हमें लिखित में दिया है कि हम आपको Parboiled राइस नहीं देंगे, हम आपको रॉ राइस देंगे। अब पैडी की एक नई कहानी इन्होंने शुरू कर दी है, जिसका कोई आधार नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : प्लीज़, आपस में बात न करें, आपने क्वेश्चन पूछ लिया, माननीय मंत्री जी रिप्लाई दे रहे हैं।

श्री पीयूष गोयल : जो राइस बनता है, एफसीआई वह राइस खरीदती है, वर्षों से खरीदती आई है। इनके मुख्य मंत्री जी ने पत्र लिखा कि पंजाब की तरह खरीदिये, मैंने कहा कि हम बिल्कुल पंजाब की तरह खरीदते हैं। पंजाब में जो राइस आता है, वह एमओयू के तहत जो राइस देश भर में बिक सकता है, देश भर में वितरित हो सकता है, वह आता है। इसलिए खास तौर से हमारे कुछ सांसदों द्वारा तथा कुछ राज्य सरकारों द्वारा बार-बार गुमराह करने की जो कोशिश की जा रही है, यह बिल्कुल बेबुनियाद है।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : केशवराव जी, प्लीज़, आप बैठिये।

श्री पीयूष गोयल : यह गलत है, सत्य से परे है। तेलंगाना में जो रॉ राइस बनता है, उसे सरकार खरीदेगी। राज्य में किसानों को जो गुमराह किया जा रहा है, यह बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं समझता हूं कि यह जरूरी है कि राज्य सरकार इस पर कठोर कार्रवाई करे, राज्य किसानों की चिंता करे और राज्य सरकार अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करे। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : प्लीज़ ,आपस में बात न करें। आपकी कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। श्री पि .भट्टाचार्य ,आप बोलिये। यह अलाउड नहीं है। किसी और की बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है।

डा .के केशव राव : *

---

* Not recorded.

श्री के.आर .सुरेश रेड्डी : *

SHRI P. BHATTACHARYA: Sir, the FCI, under the Decentralized Procurement Policy, allows States to procure wheat and paddy at the MSP. The procurement cost differs from State-to-State due to difference in statutory taxes, transportation, handling charges, etc. So, I would like to know from the hon. Minister --we are seeing everyday increase in the price of diesel and petrol -- whether they will be giving more price to paddy farmers.

श्री पीयूष गोयल : महोदय, यहां पीछे हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बैठे हैं, परंतु इसकी एक इंडिपेंडेंट सीएसीपी है, किसानों के जो खर्चे होते हैं, सीएसीपी उस खर्चे के पूरी डिटेल्स देती है, उसके ऊपर मिनिमम पचास प्रतिशत ऐड करती है। यह माननीय प्रधान मंत्री जी का बड़प्पन है कि उन्होंने जो काम इतने वर्षों में नहीं किया गया - श्री एम.एस. स्वामीनाथन जी ने जिसकी इतनी तारीफ की है, टाइम्स ऑफ इंडिया में इतना बड़ा OP-ED लिखा कि नरेन्द्र मोदी जी के पहले किसी प्रधान मंत्री जी ने किसानों के लिए इतना काम नहीं किया, जितना मोदी जी ने किया है, उन्होंने इसे सुनिश्चित किया कि मिनिमम 50 प्रतिशत कॉस्ट के ऊपर किसानों को मिले, उसे सीएसीपी पूरी तरीके से स्टडी करके यह तय करे कि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो भी उस कॉस्टिंग में आ जाए **...(व्यवधान)...** और उलटे उसके ऊपर पचास परसेंट **...(व्यवधान)..**

श्री उपसभापति : प्लीज़ ,शांत रहिये। माननीय एच.डी .देवेगौड़ा जी ,आप बोलिये। **...(व्यवधान) ...**

SHRI P. BHATTACHARYA: I would like to know whether you will increase the price or not. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति : नहीं, यह अलाउड नहीं है, प्लीज़, आप बैठिये। **...(व्यवधान)...** कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। प्लीज़, आप बैठिये। यह डिबेट नहीं है, I am telling you it is not debate. ...*(Interruptions)*... It is not debate. माननीय देवेगौड़ा जी, आप बोलिये। प्लीज़, आपस में बात न करें।

SHRI H.D. DEVEGOWDA: With the permission of the Chair, I would like to draw the attention of the hon. Minister, who is the Leader of this House to Karnataka. I tried my best to raise the issue of Ragi and Maize. It was not allowed even under the

Calling Attention. At the last stage, when I came to the House to raise it through Special Mention, your goodself had said, "Don't do this. I will take care of it."

For this, I am grateful. Nobody is procuring seven lakh tonnes of *raagi.* In my home district -- it is your Government -- even if one quintal of *raagi* has been purchased, I will appologise. This is how the things are going on in the States. I don't know about paddy. Paddy is grown in almost all the irrigated places. The problem is much more bigger than the paddy issue. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. This question is on the paddy issue. ...*(Interruptions)*...

SHRI H.D. DEVEGOWDA: Karnataka is the only State in the Southern part of India. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. This question is on the paddy issue. ...*(Interruptions)*...

SHRI H.D. DEVEGOWDA: Even maize is going to be grown. ...*(Interruptions)*... Sir, with your kind permission, I would like to say that the hon. Minister has taken the responsibility. ...*(Interruptions)*... If the hon. Minister assures that he will solve this problem of Karnataka, I will be grateful. ...*(Interruptions)*...

SHRI PIYUSH GOYAL: Hon. Deputy Chairman, Sir, hon. former Prime Minister of India is a very, very senior leader. He has, in fact, run the whole Government. So, he is fully aware how this whole process works. The prevailing system, over the years, is that wherever the State decides to distribute any other product, other than rice or wheat, under the NFSA, they can procure *raagi* or maize or any other product and can distribute it within the NFSA provisions. The Government of Karnataka has informed us that they procure *raagi* at MSP. The Central Government has already given permission, which is why I have said that the issue has no relevance. And, that is why I said that I would satisfy you. If you have any concerns about that, I will be happy to discuss with you. I will talk to the Chief Minister. We can have a conversation. But, for maize, they have not yet sought permission. I will talk to the Chief Minister and find out. But, the State can procure it and can distribute it within their State. The Central Government does not take *raagi* or maize because that is not mandated as any Central Pool Stock.

डा. अशोक बाजपेयी : माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि भारत सरकार के निरन्तर प्रयासों के बाद भी, बहुत से राज्यों में बहुत से जनपदों में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधी खरीद न करके आढ़तियों के माध्यम से खरीद करायी जाती है और उससे किसानों को जो उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, वह उनको नहीं मिल पाता है, तो क्या इसके लिए ये कोई ऐसा मार्गनिर्देशन या कोई दिशा निर्देश जारी करेंगे, जिससे राज्य सरकारें सीधे किसानों से खरीद के लिए बाध्य हों?

श्री पीयूष गोयल : माननीय उपसभापति जी, इसके एकदम स्पष्ट निर्देश सभी राज्यों को दिये गये हैं। अगर माननीय सदस्य कुछ specific cases हमारे समक्ष रखें, तो हम उनके ऊपर तुरन्त उचित कार्रवाई करेंगे, राज्य सरकार से भी बात करेंगे। लेकिन हमारी इच्छा है कि देश का कोई अन्नदाता, कोई किसान इससे वंचित न रहे। केन्द्र सरकार का लगातार प्रयास है कि हम अधिक से अधिक किसानों को लाभ पहुँचायें। अभी-अभी आंसर में भी कई राज्यों के बारे में फिगर्स दिये गये हैं। सर, अगर आप फिगर्स देखेंगे, तो आपको ध्यान में आयेगा कि आज से चार साल पहले, 2016-17 की Kharif marketing season में कुल 85,000 करोड़ की payment हुई थी। वह 2020-21 में बढ़ कर 1 लाख, 70 हजार हो गयी। यानी चार साल में किसानों की payment दोगुनी हो जाना, यह तो मैं समझता हूँ कि किसी भी समय इस देश ने इतनी growth कभी नहीं देखी है। मैं इसके लिए हमारे किसानों को दाद देता हूँ, उनका साधुवाद करता हूँ।

महोदय, अगर आपके पास कोई specific instance हो, तो मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगा। आप उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश में 2016-17 में 5,300 करोड़ की खरीद होती थी, जो यहाँ जवाब में भी दिया हुआ है। तब तक वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी सरकार में आये नहीं थे। अब 2020-21 में वह बढ़ कर 12,619 करोड़ हो गया, यानी ढाई गुना हो गया। अगर आप किसी भी जनपद की जानकारी देंगे, तो मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार का संवेदनशील नेतृत्व योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है, जिसका परिचय और जिसका आशीर्वाद जनता ने हाल में ही इतनी बेहतरीन performance से उनको दिया है, उससे मेरा विश्वास है कि कोई भी जनपद इससे वंचित नहीं रहेगा।

श्री उपसभापति : धन्यवाद। Question No. 318.